

केविसं(मु.) नई दिल्ली के पत्रांक .11-55/2000-केविसं (सतर्कता)/पीटी-1/1311-1352 दिनांक 5/28.03.2019 एवं दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 से प्रभावी "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(2) के तहत निर्धारित प्रावधानों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत शिकायतों के निवारण हेतु, क्षेत्रीय स्तर पर गठित निम्नलिखित सदस्यों वाली आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों का विवरण :

क्रम सं.	नाम पदनाम सहित	समिति में धारित पद	ईमेल, मोबाइल नंबर , पता	अधिकार क्षेत्र
1.	डॉ. शालिनी दीक्षित, सहायक आयुक्त, केविसं, वाराणसी संभाग	पीठासीन अधिकारी	<a href="mailto:kvshailinid@gmail.com">kvshailinid@gmail.com</a> , 8127890333 (Mob) केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, बरेका परिसर, कंचनपुर , वाराणसी -221004	क्षेत्रीय कार्यालय में अनुभाग अधिकारी स्तर (वित्त अधिकारी को छोड़कर) तथा क्षेत्रीय कार्यालय के अधीनस्थ प्राचार्यों, उप-प्राचार्यों तथा मुख्याध्यापकों के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करना
2.	श्रीमती कमलेश सिंह चौहान, सचिव Let Us Live Foundation (NGO)	गैर सरकारी संगठन सदस्य (NGO Member)	9305098735 (Mob.) 6387551578(mob.) 92 -E , रम्मन का पूरा, सुलेमसराय, प्रयागराज	
3.	श्री कृष्णा प्रसाद यादव, प्राचार्य, केवि अमहट, सुल्तानपुर	सदस्य	kpyadavkvs@rediffmail.com 7652043006 (Mob.) केन्द्रीय विद्यालय अमहट सुल्तानपुर	
4.	डॉ. अपर्णा सक्सेना, प्राचार्य, केवि गोंडा	सदस्य	Aparnasaxena0708@gmail.com 9957538610( Mob.) केंद्रीय विद्यालय, गोंडा	

Link for THE SEXUALHARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

<https://wcd.nic.in/sites/default/files/Sexual-Harassment-at-Workplace-Act.pdf>

Rules under "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013"

<https://wcd.nic.in/sites/default/files/Rules%20under%20The%20Sexual%20Harassment%20of%20Women%20at%20Workplace%20%28Prevention%2C%20Prohibition%20and%20Redressal%29%20Act%2C%202013.pdf>

Handbook on Sexual Harassment of Women at Workplace

<https://wcd.nic.in/sites/default/files/Handbook%20on%20Sexual%20Harassment%20of%20Women%20at%20Workplace.pdf>